14.9.23	बार-बार आवाज दिलवाने के बाद भी न तो अभि० न ही अभि० अधिवक्ता उपस्थित हुये। प्रत्या० अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। प्रत्या० कैसल शुमार की जाकर नंबर से कम की जावें। बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। मुनिदेव यादव RJS